न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

उनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 116/2019

1. मनोज कुमार पुत्र स्व० पेमाराम जाति नायक निवासी रेणुका तह0 व जिला श्री गंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: आदेश ::–

दिनांक :–27.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के दादा स्व0 जवानाराम पुत्र लूमाराम के नाम चक 8 सी बड़ी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 24/22, मु0 न0 88 के किला न0 1 ता 25 की 6.325 हैक. में से 1.206 हैक. खातेदारी दर्ज थी, जवानाराम ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमि में से 0.903 हैक. की वसीयत की गई तथा शेष रकबा जवानाराम के नाम दर्ज रहा, जिसका इंतकाल सं0 554/29.07.16 को दर्ज किया गया। जवानाराम की मृत्यु के उपरांत तथा उसके पुत्र पेमाराम की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त खाता की जवानाराम की भूमि का इंतकाल स0 570/20.04.17 विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय पेमाराम के हिस्सा की भूमि का इंतकाल उसके वारिसान हेतराम, कुलदीप व मनोज पिसरान पेमाराम तथा गीता देवी पुत्री पेमाराम के नाम जो दर्ज किया गया, उसमें हेतराम, कुलदीप को तो पेमाराम का पुत्र दर्ज किया गया मगर प्रार्थी व गीता के नाम के आगे पेमाराम की पुत्री व पुत्र के स्थान पर पुत्रीयां दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार गीता देवी को सही तौर पर पुत्री दर्ज किया गया मगर प्रार्थी के नाम के आगे पुत्र के स्थान पर गलत तौर से पुत्री दर्ज कर दिया गया जबकि पेमाराम का देहांत दिनांक 17.02.05 को हो चुका था उसकी पत्नी राजी देवी का देहांत दिनांक 18.12.16 को हो गया, वारिस प्रमाण–पत्र की नकल शामिल है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी स्व0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पेमाराम का पुत्र है, पुत्री नहीं है। प्रार्थी के नाम आधार कार्ड सं0 2785 5484 9260 बना हुआ है, प्रार्थी के अन्य भाईयों व बहिन के नाम आधार कार्ड बना हुआ है, जिनकी नकलें शामिल है। प्रार्थी के माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की नकलें हैं। इस प्रंकार कलेरिक्ल मिस्टेक के कारण प्रार्थी के नाम के आगे पुत्र के स्थान पर पुत्री दर्ज हो गया है, जिसकी दुरूस्ती करवायी जानी आवश्यक है, जिससे प्रार्थी भूमि सुधार की कार्यवाही कर सकें। प्रार्थी ने अप्रार्थी से इस कलेरिकल मिस्टेक की दुरूस्ती के लिए आग्रह किया तो श्रीमान्जी से आदेश लाने का कहा गया, अतः यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। इसी प्रकार प्रार्थी के भाई कुलदीप कुमार के नाम के आगे भी कुमार दर्ज करने से रह गया है जबकि वारिस प्रमाण–पत्र में कुलदीप कुमार दर्ज है तथा आधार कार्ड में भी कुलदीप कुमार दर्ज है, अतः उसके नाम के आगे भी कुमार दर्ज किया जाना आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश करके अर्ज है कि चक 8 सी बड़ी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 24/22, मु0 न0 88 के किला न0 1 ता 25 की भूमि में प्रार्थी के नाम के आगे पुत्री के स्थान पर पुत्र तथा कुलदीप के आगे कुमार दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नाम में कलेरिकल मिस्टेक के कारण अशुद्धि हुई है जिसका सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्कय है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 8 सी बड़ी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 24/22, मु0 न0 88 के किला न0 1 ता 25 की भूमि जो दर्ज राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी मनोज के नाम के बाद पुत्र एवं प्रार्थी की बहन गीता के नाम के बाद पुत्री एवं प्रार्थी के भाई कुलदीप के नाम के बाद कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर